


XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1438-दो/15

जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया ।</p> <p>विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

रेस्टोरेशन/438-II-15



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक
9-6-15
कलक आरु प्र
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

/2015 रेस्टोरेशन

- ① शरदुडीन ② मोहम्मदीन ③ हिन्दुदीन
- ④ जयलक्ष्मी ⑤ अदीपुल्लाह ⑥ अमोल लाल
- पुस्तक 21 नवंबर
- मिर्जापुरी गेट कि. गाठ कुम्हार बाजार गुलहर
- मिर्जापुरी गेट — आवेदक गण

- ① जयलक्ष्मी पुस्तक 21 नवंबर 2015
- ② शरदुडीन पुस्तक 21 नवंबर 2015
- ③ तमोव शरदुडीन ॥ जान मराम
- ④ अमोल लाल ॥ जान मराम
- ⑤ अदीपुल्लाह ॥ जान मराम
- ⑥ अमोल लाल ॥ जान मराम
- कि. गाठ कुम्हार बाजार गुलहर
- मिर्जापुरी गेट — अनावेदक गण

म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदनपत्र

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 610/IV 2015 कि माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक को नियत था।
2. यहकि, नियत दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था, इस कारण आवेदक नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका, ओर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया, जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को